



<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री अयाज हुसैन परिहार पुत्र सराजूदीन परिहार निवासी गांव रिडमलसर पोस्ट उदासर, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, अल्प संख्यक मामलात विभाग, बीकानेर किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 249/17</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>13.12.17</p>	<p style="text-align: center;">: निर्णय :</p> <p>1. पत्रावली पेश हुई। ना तो अपीलार्थी उपस्थित है एवं ना ही प्रत्यर्थी की तरफ से कोई उपस्थित है।</p> <p>2. अपीलार्थी ने अपील में अंकित किया है कि उसके द्वारा प्रत्यर्थी से आवेदन-पत्र दिनांक 07.9.17 में वर्णित सूचना चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर अपील प्रस्तुत की गई है, जो स्वीकार फरमाई जा कर वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जावे।</p> <p>3. लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक मामलात विभाग, बीकानेर द्वारा जवाब क्रमांक 971 दिनांक 30.10.17 में अंकित किया गया है कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा आवेदन-पत्र में चाही गई सूचना पत्रांक 834 दिनांक 05.10.2017 द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा चुकि है जो अब पुनः निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।</p> <p>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्प संख्यक मामलात विभाग, बीकानेर द्वारा आवेदक/अपीलान्ट को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलान्ट की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।</p> <p>5. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।</p> <p>6. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर </p>	<p style="text-align: center;">  सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official </p>